



2026:AHC-LKO:20262

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 13021 वर्ष 2025

सागर

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ के माध्यम से तथा 3 अन्य विरोधी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	:	अवनीश कुमार तिवारी
विरोधी पक्ष की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया,

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 252 वर्ष 2025 में, धारा 137(2), 87, 65(1) बी.एन.एस. तथा धारा 5J(ii)/6 पाँक्सो अधिनियम, थाना सुरसा, जनपद हरदोई के अंतर्गत जमानत प्रार्थना हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. वर्तमान आवेदन पर बल देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है।
4. यह कथन किया गया है कि वाद अपराध संख्या 252 वर्ष 2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, धारा 137(2), 87, 65(1) बी.एन.एस. तथा धारा 5J(ii)/6 पाँक्सो अधिनियम के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अंतर्गत, पुनरीक्षक/आवेदक ने सह-अभियुक्त शिशुपाल एवं एक अज्ञात व्यक्ति की सहायता से वादी की अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। तथापि, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप असत्य एवं निराधार हैं।

5. यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 17.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

6. यह भी कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप असत्य हैं, जिसका अनुमान पीड़िता के उन कथनों से लगाया जा सकता है जो जांच के दौरान बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए हैं, जिनका उल्लेख राज्य द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र में भी किया गया।

7. पीड़िता के कथनों के साधारण अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक एवं पीड़िता के मध्य प्रेम संबंध था। आवेदक एवं पीड़िता ने विवाह संपन्न किया तथा तत्पश्चात वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। पीड़िता अपने मूल निवास स्थान पर केवल तब लौटी जब उसे विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण की जानकारी हुई। यह भी कथन किया गया है कि संबंधित समय पर पीड़िता लगभग छह सप्ताह की गर्भवती थी।

8. यह भी निवेदन किया गया है कि पीड़िता के शारीरिक रूप-रंग से यह प्रतीत होता था कि वह उस समय वयस्क थी जब वह आवेदक के संपर्क में आई। संबंधित समय पर आवेदक की आयु लगभग 21-22 वर्ष थी, जबकि चिकित्सीय अभिमत के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 16-17 वर्ष आंकी गई है।

9. यह भी कथन किया गया है कि अभियोजन के अनुसार कथित घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी, जबकि यह तथ्य सही नहीं है तथा अभियोजन का उक्त दावा विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अधीन है। अतः जमानत के इस चरण पर आयु

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्धारण से संबंधित विभिन्न न्यायिक निर्णयों का लाभ आवेदक के पक्ष में प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिराद माल सिंहवी बनाम आनंद पुरोहित, (1988) Supp एस.सी.सी 604, पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एस.सी.सी 384, सुहानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (निर्णीत दिनांक 26.04.2018, सिविल अपील संख्या 4532/2018, एस.एल.पी.(सी) संख्या 8001/2018 से उद्भूत) तथा मनक चंद उर्फ मनी बनाम हरियाणा राज्य, 2023 एस.सी.सी Online एस.सी. 1397 में किए गए अवलोकनों का समावेश है।

10. यह भी कथन किया गया है कि आवेदक दिनांक 17.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि जमानत पर रिहा किए जाने के उपरांत आवेदक के विधि की प्रक्रिया से फरार होने अथवा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोई आशंका नहीं है तथा निकट भविष्य में विचारण के निष्पादन की संभावना अत्यंत क्षीण है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त कथनों का खंडन नहीं कर सके।

12. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा आवेदन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों, साथ ही पीड़िता के कथनों का अवलोकन करने पर तथा निरुद्धता की अवधि, निकट भविष्य में विचारण के निष्पादन की संभावना एवं उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदन में पर्याप्त आधार है, अतः इसे **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. उक्त वाद अपराध संख्या में आवेदक **सागर** को ₹25,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन का सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित/धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

(vi) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब आवेदक साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(viii) आवेदक धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

14. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

15. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं पड़ेगा तथा विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

दिनांक : 19 मार्च, 2026

प्रीति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।